



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275585
CG-DL-E-19082026-275585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 676]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 742(अ).— केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 11क के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(6) इस नियम या नियम 13क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर), त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर) राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में सामान्यतः निवास करने वाले आवेदकों के संबंध में, धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने, समीक्षा और निपटारा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और वह निम्नलिखित रीति से कार्य करेगा, अर्थात्:—

- (क) आवेदन की प्राप्ति पर प्रारूप 9 में एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो जाएगी;
- (ख) कलेक्टर, आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करेगा, आवेदक की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए ऐसी जांच करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे, आवेदक को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा और धारा 6ख के अधीन आवेदक की पात्रता को सुनिश्चित करेगा;
- (ग) कलेक्टर, आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में यह समाधान हो जाने पर कि वह, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकृत किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, उसे भारत की नागरिकता प्रदान करेगा;
- (घ) यदि कोई आवेदक उचित अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने तथा राजनिष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो कलेक्टर ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर देगा।”
3. उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (2ग) में, “सशक्त समिति” शब्दों के पश्चात् “या, यथास्थिति, कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1ग) में, “सशक्त समिति” शब्दों के पश्चात् “या, यथास्थिति, कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों के नियम 38 के उप-नियम (3) में, “अभिहीत अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में, प्रारूप 2क, 3क, 4क, 5क, 6क, 7क और 8क में, शीर्षक “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- “परंतु यह कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर), त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर) राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में सामान्यतः निवास करने वाले आवेदकों के मामले में, सभी प्रकार से पूर्ण यह प्रारूप अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा, जो नियम 11क के अधीन आवेदन की कार्यवाही और उसका निपटारा करेगा।”
7. उक्त नियमों की अनुसूची ग के पैरा (iii) में, “वरिष्ठ डाक अधीक्षक या अधीक्षक डाक” शब्दों के पश्चात् “या कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 26030/22/2026-CAA]

डॉ. संदीप एन. महात्मे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369(अ), तारीख 18 मई, 2026 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2026

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 2009, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11A, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(6) Notwithstanding anything contained in this rule or rule 13A, in respect of applicants ordinarily residing in the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Assam (except tribal area), Tripura (except tribal area), Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, an application for registration or naturalisation under section 6B shall be submitted by the applicant in electronic form to the Collector having jurisdiction, who shall be the competent authority to receive, scrutinize and dispose of such applications in the following manner, namely:-

- (a) on submission of the application, an acknowledgment in Form IX shall be generated electronically;
- (b) the Collector shall verify the documents submitted by the applicant, along with the application, conduct such enquiry, as he considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant, administer the Oath of Allegiance as specified in the Second Schedule to the Act and satisfy himself regarding the eligibility of the applicant under section 6B;
- (c) the Collector on being satisfied with the suitability of the applicant that he is a fit and proper person to be registered or naturalised, as the case may be, shall grant him the citizenship of India;
- (d) In case an applicant fails to appear in person to subscribe the application and take oath of allegiance despite giving reasonable opportunities, the Collector shall reject the application."

3. In the said rules, in rule 14, in sub-rule (2C), after the words "Empowered Committee", the words "or the Collector, as the case may be" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (1C), after the words "Empowered Committee", the words "or the Collector, as the case may be" shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 38, in sub-rule (3), after the words "Designated Officer", the words "or the Collector" shall be inserted.

6. In the said rules, in Schedule I, in Forms IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA and VIIIA, before the heading "DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT", the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that in the case of applicants ordinarily residing in the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Assam (except tribal area), Tripura (except tribal area), Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh this completed form shall be submitted to the Collector having jurisdiction, who shall process and dispose of the application under rule 11A."

7. In the said rules, in Schedule IC, in para (iiiA), after the words "Senior Superintendent of Post or Superintendent of Post", the words "or the Collector" shall be inserted.

[F.No.26030/22/2026-CAA]

DR. SANDEEP N. MAHATME, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 124(E), dated the 25th February, 2009 and last amended *vide* notification number G.S.R. 369(E), dated the 18th May, 2026.